रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226565
CG-MH-E-13042021-226565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943
No. 163] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 द्वारा अनुमोदित कार्गो की श्रेणी के वर्गीकरण में संशोधन करने से संबंधित वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान किया जाता है, जैसाकि इस आदेश के साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास - - - **आवेदक**

कोरम

(i) **श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii) **श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)**

आदेश

(मार्च 2021 के इस 16वें दिन को पारित)

यह मामला वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) के विद्यमान दरमानों (एस.ओ.आर) में कुछ संशोधन करने से संबंधित ई-मेल दिनांक 07 अप्रैल 2020 द्वारा भेजे गए उनके पूर्व प्रस्ताव के संदर्भ में आदेश संख्या

टीएएमपी/19/2020–वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्गो की श्रेणी के वर्गीकरण में संशोधन करने के संबंध में वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. सार-स्वरुप, इस प्राधिकरण ने वीओसीपीटी के एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए उनसे प्राप्त प्रस्ताव में संशोधित एसओआर और निष्पादन मानकों का अनुमोदन करते हुए आदेश संख्या टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी दिनांक 10 अक्तूबर 2019 पारित किया है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित एसओआर और निष्पादन मानक राजपत्र संख्या 363 दिनांक 22 अक्तूबर 2020 द्वारा अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, विस्तृत सकारण आदेश राजपत्र संख्या 440 दिनांक 02 दिसम्बर 2019 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3.1 तत्पश्चात, वीओसीपीटी ने आदेश दिनांक 10 अक्तूबर 2019 द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 अप्रैल 2020 द्वारा अनुमोदित एसओआर में कुछ संशोधनों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वीओसीपीटी के उक्त प्रस्ताव के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और आयोजित संयुक्त सुनवाई के पश्चात, वीओसीपीटी के विद्यमान एसओआर में कुछ संशोधनों के लिए इसके प्रस्ताव का निपटान करते हुए इस प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 पारित किया है। उक्त आदेश 16 दिसम्बर 2020 को राजपत्र संख्या 550 द्वारा भारत के राजपत्र में सूचित किया गया है।

3.2 इसके पश्चात, दिनांक 28 अक्तूबर 2020 के आदेश द्वारा अनुमोदित एसओआर में कार्यान्वयन की तारीख के लिए कुछ संशोधन करने के लिए वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2020 द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वीओसीपीटी के विद्यमान एसओआर के कार्यान्वयन की तारीख के संबंध में कुछ संशोधनों के लिए इसके प्रस्ताव का निपटान करते हुए, इस प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 दिसम्बर 2020 पारित किया है। उक्त आदेश 20 जनवरी 2021 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 37 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

4.1 अब, वीओसीपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत किए है:-

(i) वीओसीपीटी ने दिनांक 07 अप्रैल 2020 का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय 27 फरवरी 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक के बोर्ड संकल्प संख्या 110 की प्रतिलिपि संलग्न की थी, जिसमें कार्गो की श्रेणी को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए पृथक घाट प्रभार प्रशुल्क का अनुमोदन करने के लिए बोर्ड द्वारा संकल्प लिया गया है:-

#	कार्गो	श्रेणी	दर (प्रति मी.टन)			
			जोन ए		जोन बी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
1	खली/कोपरा	ड्राई बल्क	45.66	27.39	19.56	11.74
2	पशु चारा	ड्राई बल्क	19.56	11.74	9.78	5.88
3	मक्का	ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क	32.61	19.56	19.56	11.74
4	उड़न राख	ड्राई बल्क	29.04	17.61	19.56	11.74

(ii) तथापि, वीओसीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 07 अप्रैल 2020 के द्वारा टीएएमपी को प्रस्ताव भेजते समय, उपर्युक्त कार्गो को त्रुटि से ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी के स्थान पर ब्रेक बल्क कार्गो के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तद्नुसार, टीएएमपी ने भी आदेश दिनांक 28 अक्तूबर 2020 द्वारा ब्रेक बल्क श्रेणी के अंतर्गत इन चार प्रकार के कार्गो को वर्गीकृत करने का अपना अनुमोदन संसूचित किया है।

(iii) चूँकि, उपर्युक्त क्रम संख्या 1, 2 और 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्गो ड्राई बल्क के स्वरुप के हैं, इसलिए, इन कार्गो को ड्राई बल्क के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की जरुरत है और क्रम संख्या 3 को ड्राई बल्क/ब्रेक बल्क दोनों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इनका अनुमोदन वीओसीपीटी के

न्यासी मंडल द्वारा भी किया गया है ताकि प्रदूषण उपकर वसूल किया जा सके। प्रदूषण उपकर विद्यमान एसओआर के अनुसार सभी ड्राई बल्क कार्गों के लिए वसूल किया जाना है।

(iv) उपर्युक्त को देखते हुए, कार्गो के स्वरुप पर विचार करते हुए और वीओसीपीटी के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार जैसाकि मद संख्या (i) में उल्लेख है, कार्गो के प्रकारों को वर्गीकृत करने के लिए इस प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया है।

4.2. दिनांक 28 जनवरी 2021 को उपर्युक्त प्रस्ताव के सिलसिले में, वीओसीपीटी ने अपने पश्चातवर्ती ई-मेल दिनांक 03 फरवरी 2021 के द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया है :

(i). पत्र दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा पत्तन का प्रमुख अनुरोध प्रहस्तन के स्वरुप के अनुसार कार्गो के वर्गीकरण अर्थात ड्राई बल्क/ब्रेक बल्क के संबंध में है। तथापि, तुरन्त संदर्भ के प्रयोजन से वीओसीपीटी के बोर्ड के न्यासियों द्वारा अनुमोदित संकल्प के अनुसार दरों को सम्मिलित किया गया है। तथापि, आदेश दिनांक 28 अक्तूबर 2020 द्वारा लेबर लेवी घटक के विलय के साथ इस प्राधिकरण के अनुमोदन के परिणामस्वरुप, अब कार्गो के वर्गीकरण के साथ निम्नानुसार, यह प्रस्ताव किया गया है:

#	**कार्गो**	**श्रेणी**	**दर (प्रति मि.टन)**			
			जोन ए		**जोन बी**	
1	खली/कोपरा	ड्राई बल्क	95.66	57.39	69.56	41.74
2	पशु चारा	ड्राई बल्क	69.56	41.74	59.78	35.88
3	मक्का	ड्राई/ ब्रेक बल्क	82.62	49.56	49.56	41.74
4	उड़न राख	ड्राई बल्क	79.35	47.61	69.56	41.74

(ii) यह भी अनुरोध किया जाना है कि 28 जनवरी 2021 के पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव भेजते हुए, क्रम संख्या 4 द्वारा विनिर्दिष्ट अर्थात उड़न राख को त्रुटि से एक श्रेणी अर्थात ड्राई बल्क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। लेकिन वास्तव में, क्रम संख्या 3 द्वारा विनिर्दिष्ट कार्गो की भांति उक्त कार्गो का प्रहस्तन ड्राई बल्क के साथ-साथ ब्रेक बल्क के रुप में किया जा रहा है।

(iii) उपर्युक्त को देखते हुए, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्गो प्रहस्तन के स्वरुप पर विचार करते हुए कार्गो के प्रकारों के वर्गीकरण करने के लिए इस प्राधिकरण के अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

5. वर्तमान प्रस्ताव में, वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों/परिवर्तनों के सारांश की तुलनात्मक स्थिति और प्रशुल्क आदेश संख्या टीएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 से लिए गए संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

पत्तन द्वारा प्रस्तावित और अनुबंध-II के अधीन आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विद्यमान एसओआर में निर्धारित

क्रं.सं.	**कार्गो**	**प्रभार का एकक**	**दर (रुपये में)**			
			जोन ए		**जोन बी**	
			विदेशी	**तटीय**	**विदेशी**	**तटीय**
5.	**ब्रेक कार्गो**					
(ix).	खली/ कोपरा	1 मीट	95.66	57.39	69.56	41.74
(x).	पशु चारा	1 मीट	69.56	41.74	59.78	35.88
(xi).	मक्का	1 मीट	82.62	49.56	49.56	41.74
(xii).	उड़न राख	1 मीट	79.35	47.61	69.56	41.74

वीओसीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 28 जनवरी 2021 और तत्पश्चात ई-मेल दिनांक 03 फरवरी, 2021 द्वारा अब प्रस्तावित संशोधन

क्रं.सं	**कार्गो**	**श्रेणी**	**दर (प्रति मी.टन)**			
			जोन ए		**जोन बी**	
1	खली/ कोपरा	ड्राई बल्क	95.66	57.39	69.56	41.74
2	पशु चारा	ड्राई बल्क	69.56	41.74	59.78	35.88
3	मक्का	ड्राई/ ब्रेक बल्क	82.62	49.56	49.56	41.74
4	उड़न राख	ड्राई/ ब्रेक बल्क	79.35	47.61	69.56	41.74

6.1. संक्षेप में, वीओसीपीटी के न्यासी मंडल के संकल्प संख्या 110 के अनुसार वीओसीपीटी का प्रस्ताव चार कार्गो अर्थात खली/कोपरा, पशु चारा, मक्का और उड़न राख के वर्गीकरण में संशोधन करने तक सीमित है जिन्हें दिनांक 07 अप्रैल 2020 की ई-मेल द्वारा प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में संशोधन का अनुमोदन करने का अनुरोध करते समय त्रुटि से पत्तन द्वारा ब्रेक बल्क के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

6.2. वीओसीपीटी ने वर्तमान प्रस्ताव दिनांक 28 जनवरी 2021 और ई-मेल दिनांक 03 फरवरी 2021 के द्वारा इन चार कार्गो अर्थात खली/कोपरा, पशु चारा, मक्का और उड़न राख के वर्गीकरण के लिए संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्तन ने घाट प्रभार अनुसूची में ब्रेक बल्क के अंतर्गत इन चारों कार्गो के विद्यमान वर्गीकरण के स्थान पर घाट शुल्क अनुसूची में ड्राई बल्क शीर्षक के अंतर्गत दो कार्गो अर्थात खली/कोपरा और पशु चारा को एवं मक्का तथा उड़न राख को ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क दोनों के कार्गो के अंतर्गत वर्गीकृत करने का अनुरोध किया है।

6.3. जहां तक खली/कोपरा, पशु चारा और मक्का का संबंध है, कार्गो के वर्गीकरण में संशोधन के संबंध में पत्तन द्वारा किया गया अनुरोध बोर्ड के न्यासी-मण्डल के दिनांक 28 फरवरी 2020 के अनुमोदन के अनुसार है। जहां तक उड़न राख का संबंध है, यह देखा गया है कि वीओसीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन के अनुसार इस कार्गो को ड्राई बल्क के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, वीओसीपीटी ने उद्धरण देते हुए कहा है उड़न राख का प्रहस्तन ड्राई बल्क के साथ-साथ ब्रेक बल्क के रुप में किया जा रहा है, अत: ड्राई बल्क और ब्रेक बल्क के अंतर्गत इस कार्गो को वर्गीकृत करने का अनुरोध किया है। यह स्थिति विश्वसनीय है। कार्गो की इन मदों के संबंध में वीओसीपीटी द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 में दिए गए घाट प्रशुल्क के साथ लेबर लेवी का विलय करने के पश्चात पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित निर्धारित घाट प्रभार की संशोधित दरो का जिस रुप में प्रस्ताव किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इस स्थिति के होते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित इन चारों कार्गो के प्रस्तावित वर्गीकरण का अनुमोदन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां तक न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित ड्राई बल्क के रुप में इसके वर्गीकरण के अलावा, ब्रेक बल्क कार्गो के अंतर्गत उड़न राख के श्रेणीकरण का संबंध है, पत्तन द्वारा उपर्युक्त दर्शाए गए कारणों से इस प्राधिकरण द्वारा भी अनुमोदन किया जाता है, बशर्ते ड्राई बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो के रुप में इसके श्रेणीकरण के लिए वीओसीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वीओसीपीटी द्वारा अनुरोध किया गया हो। वीओसीपीटी को इस संबंध में इसके बोर्ड के न्यासी मंडल के अनुमोदन की एक प्रति हमारे रिकार्ड के लिए अग्रेषित करने की सलाह दी जाती है।

6.4. वीओसीपीटी के बोर्ड के न्यासी मंडल ने अपने बोर्ड के संकल्प दिनांक 27 फरवरी 2020 में यह संकल्प किया है कि इस प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात ही कार्गो के श्रेणीकरण का कार्यान्वयन किया जाएगा। अत: कार्गो के श्रेणीकरण के लिए संशोधन आदेश भावी प्रभाव से लागू होगा। सामान्य दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधन इस आदेश की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू होंगे। चूँकि, अनुमोदित संशोधन वीओसीपीटी के विद्यमान एसओआर का भाग होंगे, इसलिए, इन संशोधनों की वैधता वीओसीपीटी के विद्यमान सामान्य एसओआर की वैधता की अवधि समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएगी।

7.1. परिणामस्वरुप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण संशोधन आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 के साथ संलग्न अनुबंध – II में निर्धारित घाट प्रभार अनुसूची की अनुसूची 3.1.1 में निम्नलिखित संशोधनों के साथ वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन करता है:

(i) अनुसूची 3.1.1 – घाट प्रभार के अंतर्गत खली/कोपरा और पशु चारा से संबंधित शीर्षक "ब्रेक बल्क" कार्गो के अंतर्गत क्र.सं. 5(ix) और (x) के अंतर्गत विद्यमान मद को वहां से हटा दिया गया है और घाट

प्रशुल्क के अंतर्गत खली/कोपरा और पशु चारा से संबंधित शीर्षक "ब्रेक बल्क" कार्गो के अंतर्गत क्र.सं. 5(ix) और (x) के अंतर्गत "ड्राई ब्ल्क - अन्य" के अंतर्गत क्रमश: क्रम संख्या 4(xvii) और (xviii) में प्रतिस्थापित किया गया है और मक्का और उड़न राख से संबंधित क्रं.सं. 5(xi) और (xii)में विद्यमान मदों को भी "ड्राई ब्ल्क कार्गो" के अंतर्गत क्रम संख्या 4 के अंतर्गत क्रमश: क्रम संख्या 4 (xix)और (xx) के रुप में निर्धारित की गई है। यद्यपि, इन्हें ब्रेक बल्क कार्गो के अंतर्गत और साथ ही क्रम संख्या 5 के अंतर्गत क्रमश: पुन: प्रदान की गई क्रम संख्या 5 (ix)और (x) के रुप में कायम रखा गया है। विद्यमान विधि के स्थान पर संशोधित विधि को प्रतिस्थापित किया जाता है जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

पत्तन द्वारा प्रस्तावित और अनुसूची 3.1.1 के अंतर्गत अनुबंध-II के अधीन आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विद्यमान एसओआर में निर्धारित	निम्नानुसार पढ़ा जाए

क्रं.सं.	कार्गो	दर (रुपये में)				
		प्रभार की यूनिट	जोन ए		जोन बी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
5.	ब्रेक बल्क					
(ix).	खली/ कोपरा	1 मिट	95.66	57.39	69.56	41.74
(x).	पशु चारा	1 मिट	69.56	41.74	59.78	35.88
(xi).	मक्का	1 मिट	82.62	49.56	49.56	41.74
(xii).	उड़न राख	1 मिट	79.35	47.61	69.56	41.74

क्रं.सं.	कार्गो	दर (रुपये में)				
		प्रभार की यूनिट	जोन ए		जोन बी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
5.	ब्रेक बल्क					
(ix).	मक्का	1 मिट	82.62	49.56	49.56	41.74
(x).	उड़न राख	1 मिट	79.35	47.61	69.56	41.74

क्र.सं.	कार्गो	दर (रुपये में)				
		प्रभार की यूनिट	जोन ए		जोन बी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
4.	ड्राई बल्क – अन्य					

क्र.सं.	कार्गो	दर (रुपये में)				
		प्रभार की यूनिट	जोन ए		जोन बी	
			विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
4.	ड्राई बल्क – अन्य					
(xvii).	खली/कोपरा	1 मिट	95.66	57.39	69.56	41.74
(xviii).	पशु चारा	1 मिट	69.56	41.74	59.78	35.88
(xix).	मक्का	1 मिट	82.62	49.56	49.56	41.74
(xx).	उड़न राख	1 मिट	79.35	47.61	69.56	41.74

(ii) उपर्युक्त संशोधनों के परिणामस्वरुप, क्रम संख्या 4(xviii)– अन्य गैर-विनिर्दिष्ट के स्थान पर अब क्रम संख्या 4 (xxi) हो गयी है और क्रम संख्या 5 (xiii) और (xiv) के स्थान पर क्रमश: क्रम संख्या 5(xi) और (xii) हो गयी हैं।

7.2. इस अनुमोदित आदेश को इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/19/2020-वीओसीपीटी दिनांक 28 अक्तूबर 2020 द्वारा अनुमोदित विद्यमान एसओआर में संशोधनों के साथ पढ़ा जाए।

7.3. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधन आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू होंगे। अनुमोदित संशोधन वीओसीपीटी के विद्यमान सामान्य एसओआर की वैधता की अवधि तक वैध बने रहेंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./27/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2021

No. TAMP/19/2020-VOCPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from V.O. Chidambaranar Port Trust seeking amendment in classification of cargo category approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/19/2020-VOCPT

V.O. Chidambaranar Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 16th day of March 2021)

This case relates to a letter received from the V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) dated 28 January 2021 as regards the amendment in the classification of category of cargo approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 with reference to its earlier proposal by email dated 07 April 2020 regarding a few amendments in its existing Scale of Rates (SOR).

2. To recapitulate, this Authority has passed an Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019, approving the revised SOR and Performance Standards on the proposal received from the VOCPT for general revision of its SOR. The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority was notified vide Gazette No.363 dated 22 October 2019. Subsequently, the detailed Speaking Order was notified in the Gazette vide No.440 dated 02 December 2019.

3.1. Subsequently, the VOCPT vide its letter dated 07 April 2020 filed a proposal for a few amendments in the SOR approved vide Order dated 10 October 2019. Following the prescribed consultation process with the stakeholders and after holding a joint hearing held on the said proposal of VOCPT, this Authority passed an Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 disposing of the proposal of VOCPT for a few amendments to its existing SOR. The said Order has been notified in the Gazette of India on 16 December 2020 vide Gazette No.550.

3.2. Subsequent to that, the VOCPT vide its letter dated 23 November 2020 again filed a proposal for a few amendments for the date of implementation in the SOR approved vide Order dated 28 October 2020. With constraint, this Authority passed an Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 December 2020 disposing of the proposal of VOCPT for a few amendments with regard to date of implementation to its existing SOR. The said Order has been notified in the Gazette of India on 20 January 2021 vide Gazette No.37.

4.1. Now, VOCPT vide its email dated 28 January 2021 has submitted the following points:

(i) VOCPT, while submitting the proposal dated 07 April 2020, had furnished a copy of the Board Resolution No.110 of the Board Meeting held on 27 February 2020 wherein Board has resolved to approve separate wharfage tariff for the following 4 categories of cargo classifying the category of cargo as below:

#	Cargo	Category	Rate (Per M.T)			
			Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
1	Oil Cake/ Copra	Dry Bulk	45.66	27.39	19.56	11.74
2	Cattle Feed	Dry Bulk	19.56	11.74	9.78	5.88
3	Maize	Dry Bulk/ Break Bulk	32.61	19.56	19.56	11.74
4	Fly Ash	Dry Bulk	29.04	17.61	19.56	11.74

(ii) However, the VOCPT while sending the proposal vide its letter dated 07 April 2020 to TAMP, classified the above cargoes inadvertently under Break Bulk Cargo instead of Dry Bulk cargo category. Accordingly, TAMP has also communicated its approval classifying these four cargoes under Break Bulk category vide Order dated 28 October 2020.

(iii) As the cargoes stated above under Sl. No.1, 2 & 4 are in the nature of Dry Bulk, the cargo need to be classified under Dry Bulk and Sl. No.3 needs to be classified under both Dry Bulk / Break Bulk as also approved by the Board of Trustees of VOCPT so that pollution cess can be collected. Pollution cess to be collected for all dry bulk cargoes as per prevailing SOR.

(iv) In view of the above, the approval of this Authority is requested to classify the cargoes as stated in point no.(i) above considering the nature of cargo and as per VOCPT's Board approval.

4.2. In continuation to above proposal dated 28 January 2021, the VOCPT vide its subsequent email dated 03 February 2021 has made following further submissions:

(i) The primary request of the Port vide letter dated 28 January 2021 is with regard to classification of cargo according to nature of handling i.e. Dry Bulk/ Break Bulk. However, for the ready reference purpose, the rates have been included as per the resolution approved by the Board of Trustees of VOCPT. However, consequent on approval by this Authority with merging Labour levy component vide Order dated 28 October 2020, now it is proposed as below along with the classification of cargo:

#	Cargo	Category	Rate (Per M.T)			
			Zone A		Zone B	
1	Oil Cake / Copra	Dry Bulk	95.66	57.39	69.56	41.74
2	Cattle Feed	Dry Bulk	69.56	41.74	59.78	35.88
3	Maize	Dry / Break Bulk	82.62	49.56	49.56	41.74
4	Fly Ash	Dry Bulk	79.35	47.61	69.56	41.74

(ii) It is further to submit that while sending the above proposal vide letter dated 28 January 2021, the cargo mentioned vide Sl. No.4 viz., Fly Ash has been mentioned inadvertently under one category i.e., Dry Bulk. But, actually the said cargo is being handled as Dry Bulk as well as Break Bulk similar to cargo mentioned vide Sl. No.3.

(iii) In view of the above, the approval of this Authority is requested to classify the cargoes as stated above, considering the nature of cargo handling.

5. A comparative position of the summary of modifications/ amendments proposed by the VOCPT in current proposal and the relevant extract from the tariff Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 is given below:

Proposed by port and prescribed in existing SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 under Annex-II

Sl. No.	Cargo	Rates (In Rupees)				
		Unit of charge	Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
5.	**Break Bulk**					
(ix).	Oil cake / cobra	1 MT	95.66	57.39	69.56	41.74
(x).	Cattle feed	1 MT	69.56	41.74	59.78	35.88
(xi).	Maize	1 MT	82.62	49.56	49.56	41.74
(xii).	Fly ash	1 MT	79.35	47.61	69.56	41.74

Amendment now proposed by VOCPT vide its proposal dated 28 January 2021 and subsequent email dated 03 February 2021

Sl. No.	Cargo	Category	Rate (Per M.T)			
			Zone A		Zone B	
1	Oil Cake / Copra	Dry Bulk	95.66	57.39	69.56	41.74
2	Cattle Feed	Dry Bulk	69.56	41.74	59.78	35.88
3	Maize	Dry / Break Bulk	82.62	49.56	49.56	41.74
4	Fly Ash	Dry / Break Bulk	79.35	47.61	69.56	41.74

6.1. In short, the proposal of VOCPT is limited to amend the classification of four cargoes viz., Oil Cake/ Copra, Cattle Feed, Maize and Fly Ash as per the Board of Trustees of VOCPT vide Resolution No.110 which was inadvertently classified under Break Bulk by the port while seeking approval for the amendment in its proposal vide email dated 07 April 2020.

6.2. The VOCPT in the current proposal dated 28 January 2021 and subsequent email dated 03 February 2021 has sought approval for the amendment for classification of these four cargoes viz., Oil Cake/ Copra, Cattle Feed, Maize and Fly Ash. The port seeks classification of two cargoes viz., Oil Cake/ Copra and Cattle Feed under the heading dry bulk in wharfage schedule and Maize and Fly ash to be classified under both dry bulk and break bulk instead of existing classification of these four cargoes under break bulk in the wharfage schedule.

6.3. The amendment in the classification of cargo sought by the port as regards Oil Cake/ Copra, Cattle Feed and Maize is in line with the approval of the Board of Trustees dated 28 February 2020. As regards Fly Ash cargo, it is seen that as per the approval of the Board of Trustees of the VOCPT, this cargo is categorised under Dry Bulk. However, the VOCPT citing that Fly ash is handled both as Dry Bulk as well as Break Bulk, sought to classify this cargo under both dry bulk and break bulk. This position is relied upon. There is no change proposed by the VOCPT as such in the amended wharfage rates prescribed as proposed by the port after merger of labour levy with the wharfage in the Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 in respect of these cargo items.

That being so, the proposed classification of these four cargoes is approved by this Authority as proposed by the Port. Further, as regards the categorization of Fly ash under Break Bulk cargo, apart from its classification as Dry Bulk approved by the Board of Trustees, is also approved by this Authority for the reason cited by the port, subject to the VOCPT seeking approval of the Board of Trustees of the VOCPT for categorizing it as Dry bulk/ Break bulk cargo. The VOCPT is advised to forward a copy of the approval of its Board of Trustees in this regard for our records.

6.4. The Board of Trustees of the VOCPT has resolved in its Board Resolution dated 27 February 2020 that categorization of cargo will be implemented after approval of this Authority. Hence, amendment Order for categorization of cargo will come into effect prospectively. Following the general approach, the amendments approved by this Authority will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Since the amendments approved will form part of the existing SOR of VOCPT, the validity of the amendments is coterminous with the validity of the existing General SOR of VOCPT.

7.1. In the result, and for the reasons given above and based on collective application of mind, this Authority approves the amendments proposed by the VOCPT with the following modification in the schedule 3.1.1 of the wharfage schedule prescribed in Annex-II attached to amendment Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020:

(i) The existing items under Sl. Nos.5 (ix) and (x) under the heading "Break Bulk" cargo relating to Oil cake/ cobra and Cattle feed under schedule 3.1.1 – Wharfage is shifted therefrom and inserted under "Dry Bulk – Other" at Sl. Nos.4 (xvii) and (xviii) respectively and the existing items at Sl. Nos.5 (xi) and (xii) relating to Maize and Fly Ash are also prescribed under Sr. No.4 as Sr. Nos.4 (xix) and (xx) respectively under Dry Bulk cargo whilst retaining them under the break bulk cargo as well under Sl. No.5 with renumbering as Sr. Nos.5 (ix) & (x) respectively. The existing prescription is replaced with the amended prescription as tabulated below:

Proposed by port and prescribed in existing SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020 under Annex-II under Schedule 3.1.1

Sl. No.	Cargo	Rates (In Rupees)				
		Unit of charge	Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
5.	**Break Bulk**					
(ix).	Oil cake / cobra	1 MT	95.66	57.39	69.56	41.74
(x).	Cattle feed	1 MT	69.56	41.74	59.78	35.88
(xi).	Maize	1 MT	82.62	49.56	49.56	41.74
(xii).	Fly ash	1 MT	79.35	47.61	69.56	41.74

Sl. No.	Cargo	Rates (In Rupees)				
		Unit of charge	Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
4.	**Dry Bulk – Others**					

To be read as follows

Sl. No.	Cargo	Rates (In Rupees)				
		Unit of charge	Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
5.	**Break Bulk**					
(ix).	Maize	1 MT	82.62	49.56	49.56	41.74
(x).	Fly ash	1 MT	79.35	47.61	69.56	41.74

Sl. No.	Cargo	Rates (In Rupees)				
		Unit of charge	Zone A		Zone B	
			Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
4.	**Dry Bulk – Others**					
(xvii).	Oil cake / cobra	1 MT	95.66	57.39	69.56	41.74
(xviii).	Cattle feed	1 MT	69.56	41.74	59.78	35.88
(xix).	Maize	1 MT	82.62	49.56	49.56	41.74
(xx).	Fly ash	1 MT	79.35	47.61	69.56	41.74

(ii) Consequent to above amendments Sr. No.4 (xviii) – Others non-specified is renumbered as Sr. No.4 (xxi) and Sr. No.5 (xiii) and (xiv) are renumbered as Sr. No.5 (xi) and (xii) respectively.

7.2. This Order approved may be read with the amendments to the existing SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2020-VOCPT dated 28 October 2020.

7.3. The amendments approved by this Authority will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. The amendments approved will remain valid till the validity of the existing General SOR of the VOCPT.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./27/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA